मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क./बी–6/1–3/36/उप वि./पार्ट–4/1105 भोपाल, दिनांक :– 07.08.2004

आदेश

म0प्र0 कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 37–क में संविदा खेती, का नवीन प्रावधान अन्तः स्थापित किया गया है। अतः संविदा खेती के कृषि उपज के उत्पादक और केता के बीच निष्पादित करार के लिये रीति एवं प्रकिया तथा संविदा खेती के करार के प्ररूप को मण्डी समितियों की उपविधियों में विहित किया जाना आवश्यक है। अतः म0प्र0 कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 81 की उपधारा(1) के अधीन जारी कार्यालीयन पत्र कमांक/ बी–6/1–1/टी/48/96/ भोपाल, दिनांक 16.02.2004 के द्वारा मण्डी समितियों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे संविदा खेती के प्रावधानों को मण्डी समिति की उपविधियों में सम्मिलित करते हुए उपविधियों में प्रस्तावित संशोधन विनिर्दिष्ट समयावधि में स्थापित कर दिनांक 17.03.2004 से प्रभावशील करें।

अतः म0प्र0 कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 81 की उपधारा(2)में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मण्डी अधिनियम की धारा 37–क के संविदा खेती के प्रावधान को कियान्वित करने के उद्देश्य से मण्डी समिति की उपविधि सन् 2000 में संशोधन करते हुए कंडिका(37) के पश्चात संविदा कृषि की प्रस्तावना के साथ नवीन अध्याय सात अन्तः स्थापित करते हुए निम्नानुसार नवीन कंडिका (38) से(42) तक अन्तः स्थापित की जाती है। उपविधि का यह संशोधन दिनांक 1 सितंबर 2004 से मण्डी समिति पर आबध्दकर होगा।

उपविधि सन्–2000 की वर्तमान कंडिका 37(निरसन तथा व्यावृतियॉ) का परिवर्तित कमांक 43 एवं वर्तमान कंडिका 38 (कृषि विपणन पुरस्कार योजना का परिवर्तित कमांक 37 अंकित होगा।

संविदा कृषि का अनुबंध और आदर्श विशिष्टियां तथा शर्तें

कंडिका–(38) 1 प्रस्तावना –

संविदा कृषि, प्रसंस्करणकर्ता तथा/या विपणन फर्मो, मंडी बिचौलियों तथा कृषकों के बीच बहुधा पूर्व निर्धारित मूल्यों पर कृषि उत्पादों के समर्थन तथा उत्पादन के लिये किया जाने वाला एक अनुबंध हैं। यह अनुबंध,स्पष्टतः कृषकों को, उदाहरण स्वरूप, आदानों का प्रदाय और तकनीकी सलाह का प्रावधान, केता को सतत उत्पादन में सहारा देने के लिये समाहित रखता है। इन व्यवस्थाओं का आधार, कृषक की ओर से केता द्वारा अवधारित मात्रा एवं गुणवत्ता मानकों पर विनिर्दिष्ट जिन्स उपलब्ध कराने की वचनबद्धता तथा मंडी के पंजीकृत बिचौलियों की ओर से कृषकों के उत्पादन को सहारा देने तथा जिन्स को कय करने की वचनबद्धता रहती है। इस प्रकार, संविदा कृषि, वितरण की जोखिम को प्रसंस्करणकर्ता तथा उत्पादक के मध्य, वितरण का साधन है। अगला (उत्पादक) उत्पादन से जुड़ी जोखिम अपनाता है जबकि पहला (प्रसंस्करणकर्ता) अंतिम उपज के विपणन से संबद्ध जोखिम उठाता हैं। कुछ आलोचकों के अनुसार – ''संविदा कृषि'', आर्थिक भूमण्डलीकरण से जुड़ी हुई बुराईयों में से ही एक बुराई है। एक ओर तो छोटे पैमाने के कृषकों का असंगठित समूह है जिसके पास मौलभाव करने की बहुत कम

शक्ति हैं तथा उत्पादकता बढ़ाने व व्यापारिक रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक बहुत ही थोडे संसाधन हैं। वहीं दूसरी और कृषि व्यवसाय के शक्तिशाली उद्यमी हैं, जो आदान और तकनीकी सलाह के बदले सस्ते श्रमिकों का शोषण कर अपनी अधिकांश जोखिमों को प्राथमिक उत्पादकों को अन्तरित (स्थानांतरित) कर देते हैं। आलोचक कहते हैं कि "संविदा कृषि" सारतः दो असमान पक्षों के बीच एक अनुबंध है और जो छोटे किसानों के विकास के बजाए उन्हें ऋणग्रस्त करने में अधिक सम्भाव्य है। पर ऐसा बहुत कम होता है। एक "खाद्य एवं कृषि संगठन मार्गदर्शिका" (एफ.ए.ओ गाइड), "संविदा कृषिः उत्पादन के लिये भागीदारी" यह युक्ति देती है कि सुव्यवस्थित संविदा कृषि, लघु कृषि क्षेत्र को सलाह के विस्तृत संसाधनों, यंत्रीकरण, बीजों, उर्वरकों और साख तथा उपज के लिये प्रत्याभूत और लाभकारी मंडियों की प्रभावी कड़ी सिद्ध हुई है। यह एक दृष्टिकोण है जो कृषकों को आय बढ़ाने और प्रर्वतकों के लिये उच्चतर लाभ दे सकता है। जब कुशलता से आयोजित किया जाय एवं सम्हाला जाए तो संविदा कृषि दोनों पक्षों के लिये जोखिम एवं अनिश्चितता को कम कर सकती है और उत्पादक को अपने उत्पादन में मूल्यवर्धन का अवसर प्रदान करती है।

2. **<u>संविदा कृषि के गुणः</u>**— कृषकों के लिये प्रमुख लाभ यह है कि प्रवर्तक बहुधा पूर्व निर्धारित मूल्य पर सामान्यतः विनिर्दिष्ट गुणवत्ता और मात्रा परिसीमा में उत्पादित समस्त उपज कय करने के लिये वचनबद्ध होगा। संविदाएं, कृषकों को प्रबंधकीय विस्तृत परिक्षेत्र, तकनीकी और विस्तार सेवाओं में प्रवेश उपलब्ध करा सकती है जो अन्यथा प्रकार से अप्राप्त होता है। छोटे पैमाने के कृषकगण बहुधा नई प्रौद्योगिकियों को अंगीकार करने के लिये अनिच्छुक होते हैं क्योंकि उनमें संभावित जोखिम और लागत अन्तर्विष्ट होती है। संविदा कृषि में निजी कृषि व्यवसाय, सामान्यतः सुधरे हुये तरीके और प्रौद्योगिकियां प्रदाय करता है क्योंकि अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिये कृषकों के उत्पादन वृद्धि में उसकी सीधी आर्थिक रुचि रहती है । बहुत से उदाहरणों में बड़ी कम्पनियां, विनिर्दिष्टियों के अनुसार संविदा किये गये कृषकों को उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये अपना विस्तृत समर्थन प्रदाय करती हैं। संविदा कृषि के माध्यम से कृषक सीखता है, कुशल होता है, जिसमें अभिलेख का रख–रखाव, रसायन और उर्वरक उपयोग करने के सुधरे तरीके और निर्यात मंडियों की मांग और गुणवत्ता का महत्व सम्मिलित होगा। अपनी फसल के लिये जो प्रतिफल कृषक खुली मंडी में प्राप्त करते हैं, वह प्रचलित मूल्यों और खरीददारों के साथ सौदा करने की क्षमता पर निर्भर है, किन्तु संविदा कृषि कुछ सीमा तक मूल्य अनिश्चितता को पार कर सकती है। बहुधा, प्रवर्तक भुगतान किया जाने वाला मूल्य अग्रिम में बता देते हैं और ये अनुबंध में विनिर्दिष्ट किया जाता है।

संविदा कृषि व्यवस्था :–

(क) अन्यथा प्रकार से यदि प्रदाय व्यवस्था लगातार तरीके से उपलब्ध न हो तो कृषि प्रसंस्करण संयन्त्र की सुविधा उत्पन्न करने से,

(ख) छोटे कृषकों से उपज को निर्यात कराकर, जो कि अन्यथा प्रकार से मांग वाली मंडियों में पहुँच बनाने लायक नहीं है,

(ग) ऊंची गुणवत्ता के उत्पादन को बढ़ावा देकर और अच्छे ढंग से रख–रखाव और छंटाई करके, इस प्रकार छोटी जोत के उत्पादन के मूल्य में वृद्धि करके, तथा

(घ) कृषकों और प्रसंस्करणकर्ताओं को आर्थिक मापदण्ड प्राप्त कराकर, जिससे कम लागत से उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर,मूल्य सवर्धित कर सकती है।

3. **संविदा कृषि में जोखिम के घटक** :– पैदा होने वाली नई, अपरिचित फसलें उगाने और मंडियों के लिये ऐसी प्रस्तुती में जो सदैव उनकी आशाओं के या उनके प्रर्वतकों की भविष्यवाणी के अनुकूल नहीं होगी, अनिश्चितता निहित रहती है। प्रभावहीन प्रबंधन अति उत्पादन की ओर ले जा सकता है, इन्हीं प्रकरणों में प्रर्वतक, "कय को कम करने के उद्देश्य से गुणवत्ता मानक को प्रभावित करने के लिये प्रलोभित किये जाएं।" कृषकों की सबसे बडी जोखिम ऋण ग्रस्तता है, जो उत्पादन समस्याओं, निर्बल तकनीकी सलाह, मंडी परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन या कम्पनियों के संविदा का सन्मान करने की असफलता के कारण उत्पन्न होती है। प्रर्वतक के पक्ष में जोखिम ऐसे कृषकों के साथ व्यवहार करने से होती है, जो अपनी ओर से पारम्परिक स्वामियों के साथ भूमि का उपयोग करने के लिये समझौता कर लेते है। संविदा करने के पूर्व प्रर्वतक को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कम से कम संविदा अवधि तक भूमि के लिये पहुँच सुरक्षित हो। किन्तु अधिक गंभीर समस्या तब आती है जब कृषकगण संविदा भंग करते हैं और अपनी उपज वैकल्पित मण्डियों में बेच देते हैं, ऐसा कभी–कभी प्रचलित अधिक मूल्यों पर खुले बाजार में या प्रतिद्वन्दी प्रर्वतकों के उकसावे पर होता है।

4. **प्रबंधकीय व्यवस्थाऍं**:– संविदा कृषि व्यवस्था को कृषि उद्योग और कृषकों के बीच भागीदारी के रूप में देखा जाना है। प्रर्वतक द्वारा अच्छी सेवा का प्रदाय, सफल संविदा कृषि की एक पूर्व शर्त है। इसलिए, प्रर्वतकों को उत्पादन और विपणन गतिविधियों का ठीक से समन्वय करने का निश्चित उत्तरदायित्व लेना चाहिऐ। प्रबंधकगण कृषकों के साथ पारस्परिक आदान–प्रदान में पारदर्शिता सुनिश्चित करें और उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए की कृषक अपनी और प्रर्वतक, दोनों की बाध्यताओं को समझें। निम्नांकित मध्यस्थता द्वारा संविदा कृषि व्यवस्थाओं में कृषकों की चूक को कम किया जा सकता है:

(क) **कृषक संघों का आयोजन**:– समूह के भीतर बराबर का दबाव, संभावित चूक कर्ताओं को छांट देता है और चूक की जोखिम को कम कर सकता है। इसके अतिरिक्त मापदण्ड का अर्थशास्त्र, सेवाओं के प्रदान में प्राप्त किया जा सकता है, जिससे लागत में कमी आयेगी। कम्पनियों के साथ सौदे बाजी में वरदहस्त प्राप्त कर कृषक भी लाभ प्राप्त करेंगें।

(ख) **अच्छा संचार और कृषकों का गहन अनुश्रवण**:– अच्छा संचार, कम्पनी–कृषक सम्बन्धों और विश्वसनीयता का पोषण करता है, जिसका, रची गई चूक को कम करके, सार्थक प्रभाव पड़ता है। जहॉं गुणवत्ता की सुनिश्चितता और उपज का पता लगाने तथा पूरी श्रृखला में वांछित पारिश्रमिकता सिद्ध करने की आवश्यकता हो, समूह के सदस्य एक दूसरे का अनुश्रवण कर सकते हैं।

(ग) **प्रदत्त सेवाओं का परिक्षेत्र एवं गुणवत्ता** :– प्रदत्त सेवाओं का जितना अधिक अच्छा और विस्तृत, परिक्षेत्र होगा, उतनी ही घनिष्टता, कृषक और व्यापार के बीच होगी और सम्बन्ध विच्छेद करनी से उतनी ही अधिक हानि कृषक उठायगा।

5. **संविदा कृषि के प्रकार**:– संविदा कृषि अनुबन्ध, जो परस्पर अनन्य वर्गों में न होकर, तीन श्रेणियों में विभाजित किये जा सकते है –

(एक) मंडी विनिर्दिष्टियां,
(दो) संसाधन प्रदायी, तथा
(तीन) उत्पादन प्रबंधन।

मण्डी विनिर्दिष्ट संविदाएं, फसल (कटाई) पूर्व के अनुबन्ध हैं जो फर्म और उत्पादक को नियत विशिष्ट शर्तों पर फसल के विक्रय हेतु शासित होने के लिये अनुबन्धित करते हैं। ये शर्तें बहुधा मूल्य, गुणवत्ता एवं अवधि का उल्लेख करती हैं। संसाधन प्रदायी संविदाएं, प्रसंस्करणकर्ता को विपणन अनुबन्ध के लिये विनिमय में आदान

की पूर्ति, दिस्तार या साख प्रदान करने के लिये बाध्य करती हैं। उत्पादन प्रबंधन संविदाएं कृषक को सामान्यतः विपणन अनुबन्ध के लिये या संसाधन प्रावधान विनिमय में निश्चित उत्पादन पद्धति या आदान प्रणाली को अपनाने के लिये बांधती हैं। विभिन्न संयोजनों में ये संविदा नमूने, फर्मो को अपनी स्वयं की फसल उगाये बिना उत्पादन प्रौद्योगिकी को प्रभावित करने, और लापता मण्डियों के प्रति प्रतिकिया व्यक्त करने की अनुमति देते हैं। ईटन एवं शेफर्ड ने "संविदा कृषि", वृद्धि के लिये भागीदारी शीर्षक की अपनी पुस्तक (खाद्य एवं कृषि संगठन–2001) में संविदा कृषि के लिये पॉच संगठनात्मक आदर्श प्रस्तुत किये हैः–

(क) **केन्द्रित आदर्शः**– प्रवर्तक, कृषकों से प्रसंस्करण के लिये फसल क्रय करता है और उत्पादन बेचता है। उत्पादन के प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में कोटा वितरित कर दिया जाता है और गुणवत्ता, कसावट से नियन्त्रित की जाती है। यह आदर्श सामान्यतः तम्बाखू, कपास, गन्ना, केले, कॉफी, चाय, नारियल और रबड़ फसलों के साथ सम्बद्ध होता है।

(ख) **नामिक सम्पत्ति आदर्श** :– प्रवर्तक, प्रसंस्करण संयन्त्र के निकट बागान का स्वामित्व रखता है और व्यवस्था करता है और प्रौद्योगिकी तथा व्यवस्थापन तकनीकों से कृषकों को परिचित कराता है (इन्हें कभी–कभी "उपग्रही" उत्पादक कहा जाता है)। यह वृक्षीय फसलों के लिये उपयोग किया जाता है; किन्तु दुग्ध उत्पादन में भी उपयोग में लाया गया है।

(ग) **बहुपक्षीय आदर्शः**– इसमें प्रायः विधिक निकाय और निजी कम्पनियां सम्मिलित हैं जो संयुक्त रूप से कृषकों के साथ भाग लेती हैं। यह चीन में सामान्य है, जहॉ शासन के विभाग, नगरीय समितियां और विदेशी कम्पनियां ग्रामों और कृषकों से व्यक्तिगत संविदाओं में सम्मिलित होते हैं।

(घ) **औपचारिक या व्यक्तिगत विकसित आदर्शः**– व्यक्तिगत उद्यमी या छोटी कम्पनियां, विशेषकर ताजी सब्जियों और उष्ण कटिबन्धीय फलों के लिये कृषकों के साथ सत्रीय आधार पर साधारण, अनौपचारिक उत्पादन संविदाएं करते हैं। सुपर बाजार अक्सर व्यक्तिगत विकासकर्ताओं के माध्यम से ताजी उपज खरीदते हैं।

(ड.) **बिचौलिया आदर्शः**– दक्षिण एशिया में बिचौलियों के साथ फसल उत्पादन की उप–संविदा करना सामान्य है। थाईलैण्ड में खाद्य प्रसंस्करण करने वाली बड़ी कम्पनियां व्यक्तिगत "संग्राहकों" से या कृषक समितियों से फसल खरीदती हैं, जो कृषकों के साथ अपनी स्वयं की अनौपचारिक व्यवस्थाएं करती हैं।

6. **संविदा कृषि अनुबन्धों की निर्दिष्टियांः**– संविदा कृषि अनुबन्ध, विभिन्न घटकों, जैसे कि – *उत्पाद की प्रकृति, वांछित प्राथमिक प्रसंस्करण*, यदि कहीं हो, और पूर्ति की विश्वसनीयता के रूप में मण्डियों की मांग पर अवलम्बित होता है। गुणवत्ता प्रोत्साहन, भुगतान व्यवस्था, उत्पादन प्रकिया पर प्रवर्तक का चाहा गया नियन्त्रण स्तर तथा पक्षकारगण की जो पूंजी सम्बद्धता है वह भी अनुबन्ध की प्रकृति को प्रभावित करता है। उदाहरण स्वरूप तैल–ताड़ (खजूर), चाय या शक्कर, जहां महत्वपूर्ण दीर्घ अवधि विनियोग समस्त पक्षों से वांछित है, समाहित करने वाली संविदा अलग प्रकार की होगी क्योंकि फलों और सब्जियों जैसी वार्षिक फसलों को समाहित करने वाली सुपर बाजारों के लिये उसी प्रकार की संविदायें नहीं हो सकती जैसा कि समुद्रपार (विदेशी) मण्डियों के लिये नियत उपज को समाहित करने वाली होगी, जिसका कीटनाशक उपयोग और उत्पाद की गुणवत्ता, साथ ही साथ उच्चतर प्रस्तुती एवं पैकिंग मानक पर कठोर नियन्त्रण होता है। यद्यपि, निगमित निकाय, शासकीय अभिकरण और व्यक्तिगत विकासकर्ता, अनुबन्ध की उत्प्रेरक आवश्यकता है, कृषक और उनके प्रतिनिधियों को आवश्यकीय रूप से अनुबन्ध का प्रारूपण करने, और कृषकगण समझ सकें ऐसे पदों में विनिर्दिष्ट शब्दावली देने के लिये,

सहयोग करने का निशिचित रूप से अवसर दिया जाना चाहिए। प्रबन्धन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुबन्ध पूरी तरह से समस्त कृषकों द्वारा समझ लिया जाए। सम्मिलित किये गये निबन्धन और शर्तें, स्वतन्त्र जांच के लिये लेखबद्ध किये जाने चाहिए और प्रतियां कृषकों के प्रतिनिधियों को दी जानी चाहिए। प्रतियां सम्बद्ध शासकीय अभिकरणों को भी दी जानी चाहिए।

अनुबन्ध की विधिक रूप–रेखा में भारतीय संविदा अधिनियम की न्यूनतम विधिक वांछाओं का पालन होना चाहिए, स्थानीय पृथा को ध्यान में रखना चाहिए और मध्यस्थता के लिये व्यवस्था निश्चित रूप से सम्बोधित की जाए। लिखित संविदा के रूप में अनुबन्ध, प्रायः प्रत्येक पक्षकार के उत्तरदायित्व और बाध्यताओं, वह तरीका जिसमें अनुबन्ध प्रभावशील किया जा सकता है और यदि संविदा भंग होती है तो किये जाने वाले उपचारों को सम्मिलिति करते हैं। अधिकतर प्रकरणों में, अनुबन्ध, प्रवर्तक और कृषक के बीच किये जाते हैं, यद्यपि बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में,सविदाएं, प्रवर्तक और कृषक संघों या सहकारी समितियों के बीच हो सकती है।

विनिर्दिष्टियां:– मण्डी विनिर्दिष्ट, संसाधन प्रदायी और उत्पाद प्रबन्धन संविदाओं की विस्तृत श्रेणियों में फर्मो को उन निबन्धनों का उल्लेख अवश्य करना चाहिए, जिनमें ये सम्मिलित हों :–

(क) **विपणन**:– कितनी उपज, कब, किस मूल्य पर कितनी मात्रा में क्रय की जाएगी? उत्पादक को अपना समस्त उत्पाद, एक भाग या नियत मात्रा अवश्य प्रदाय करना चाहिए,

(ख) **आदान और तकनीकी सहायता** :– आदान और तकनीकी सहायता कैसे प्रदान की जाएगी, कितनी और किस मूल्य पर और मात्रा में ?

(ग) **साख** :– क्या उत्पादक, साख नगद या प्रकार में प्राप्त करेगा? किस ब्याज दर पर कितनी प्राप्त की जायेगी? सहवर्ती (समानान्तर) क्या होगी।

(घ) **उत्पादन प्रबन्धन** :– कौनसी प्रौद्योगिकी प्रकिया उत्पादक को अपनाना चाहिए, उत्पादक का अनुश्रवण कैसे किया जाएगा?

(ड.) **प्रदाय और श्रेणीकरण**: प्रसंस्करणकर्ता के लिये फसल का परिवहन कौन करेगा और गुणवत्ता का श्रेणीकरण कैसे किया जाएगा?

(च) संविदा की अवधि,

(छ) वह तरीका जिसमें मूल्य की गणना की जाएगी–

(एक) प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में मूल्यों का निर्धारण करके,

(दो) विश्व या स्थानीय मण्डियों के मूल्यों के उतार–चढाव के आधार का उपयोग करके,

(तीन) मण्डी स्थल मूल्यों का उपयोग करके,

(चार) जब कच्चे या प्रसंस्कृत उत्पाद के बेचे जाने तक कृषक को भुगतान की जानकारी नही होती, परेषण मूल्य का उपयोग करके,

(पांच) जब सहमति आधारित मूल्य कृषक प्राप्त करता है, प्रवर्तक द्वारा उत्पाद बेच दिये जाने पर अन्तिम मूल्य के साथ, मूल्य का विभाजन करके,

(ज) कृषकों को भुगतान करने तथा साख अग्रिमों के वापसी की मांग के लिये प्रणाली,

(झ) बीमा समाहित करने की व्यवस्था,

(ञ) अधिसूचित शासकीय अभिकरण और विवाद निश्चय तन्त्र के साथ संविदा कृषि अनुबन्ध का पंजीकरण।

अध्याय– सात

संविदा खेती के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन

कंडिका–(39) संविदा खेती :–

संविदा खेती,, संविदा खेती के कृषि उपज के उत्पादक और केता के बीच प्ररूप (19) में लिखित करार के अधीन करार में विहित रीति एवं प्रकिया के अनुसार की जायेगी। संविदा खेती के लिये किया जाने वाला करार प्ररूप(19) में निष्पादित होगा जिसमें संविदा खेती की विशिष्टयॉ, निबंधन तथा शर्तें अतविष्टि होगी।

कंडिका (40) संविदा खेती का रजिस्ट्रीकरण(पंजीकरण) :–

(1) केता, संविदा खेती के प्ररूप (19) में लिखित करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए मण्डी समिति को प्ररूप (20) में आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदक के साथ केता द्वारा 1,000.00 (एक हजार रू.) रजिस्ट्रीकरण फीस जमा की जाएगी।

(2) **संविदा खेती के रजिस्ट्रीकरण (पंजीकरण) हेतु आवेदन :–**

अधिनियम की धारा 37–क(1) में उल्लेखित केता अधिनियम की धारा 37–क(2) के अन्तर्गत मण्डी समिति में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप (20) में एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन फार्म मण्डी समिति द्वारा निःशुल्क प्रदाय किया जावेगा। आवेदन के साथ निर्धारित रजिस्ट्रीकरण फीस का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं अन्य आवश्यक अभिलेख संलग्न होना आवश्यक है अन्यथा आवेदन में कमियों का उल्लेख करते हुए आवेदन तत्समय मण्डी समिति द्वारा वापस कर दिया जावेगा।

उपरोक्तानुसार रजिस्ट्रीकरण हेतु प्राप्त आवेदन नस्ती बनाकर पंजीबद्व करते हुए अनुज्ञप्ति शाखा प्रभारी द्वारा मण्डी सचिव को आगामी कार्यवाही के लिए प्रकरण हस्तान्तरित किया जायेगा। इस नस्ती पर बाजार व्यवस्था एवं मण्डी शुल्क शाखा तथा लेखा शाखा प्रभारियों का अभिमत प्राप्त किया जावेगा। निरीक्षक/मंडी सचिव का यह दायित्व होगा कि वह आवेदन में उल्लेखित तथ्यों की जांच स्वयं करते हुए अपने अभिमत सहित निर्णय हेतु प्रकरण भारसाधक अधिकारी/अध्यक्ष मण्डी समिति के समक्ष प्रस्तुत करे। संविदा खेती के ऐसे प्रत्येक प्रकरण का निराकरण आवेदन प्राप्त होने के तीस दिन की कालावधि में करा लिया जाना आवश्यक है। निर्णय लिखित में स्पष्ट स्वीकृति या अस्वीकृति का लिया जायेगा। अस्वीकृति की दशा में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन संलग्न किये गये समस्त अभिलेखों सहित मय डिमाण्ड ड्राफ्ट के पंजीकृत डाक से आवेदक को वापस कर दिया जायेगा,किन्तु यह समस्त कार्यवाही मण्डी समिति द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के 6 सप्ताह में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।संविदा खेती के लिये निष्पादित करार के मण्डी समिति में रजिस्ट्रीकरण करवाने के पश्चात् मण्डी समिति द्वारा प्ररूप (21) में करार के पंजीकरण की प्रति केता एवं उत्पादक दोनों को मण्डी समिति द्वारा प्रदाय की जावेगी।

कंडिका(41) संविदा खेती के करार से उत्पन्न विवादों का निपटारा :–

(क) यदि संविदा खेती के करार के उपबंधो के संबंध में पक्षकारों (केता एवं कृषि उपज के उत्पादक)के बीच कोई विताद उद्भूत होता है तो कोई भी पक्षकार विवादों पर मध्यस्थता करने के लिए मण्डी समिति के अध्यक्ष को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।मण्डी समिति का अध्यक्ष पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् विवाद का हल करेगा।

(ख) उपकंडिका (क) के अधीन मण्डी समिति के अध्यक्ष के विनिश्चय से व्यथित पक्षकार विनिश्चयकी तारीख से तीस दिन के भीतर प्रबंध संचालक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को अपील कर सकेगा। प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अपील का निराकरण करेगा, तथा प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

कंडिका(42) **<u>संविदा खेती के अधीन उत्पादित कृषि उपजों के विपणन का नियंत्रण</u> :–**

(क) संविदा खेती के अधीन उत्पादित कृषि उपज, निष्पादित करार के अनुसार उत्पादक द्वारा केता को मंडी प्रागंण के बाहर मण्डी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों के अधीन विक्रीत की जाएगी।

(ख) संविदा खेती के अधीन विक्रीत कृषि उपज पर मण्डी फीस का उद्ग्रहण तथा वसूली मण्डी समिति द्वारा धारा 19 के उपबंधो के अधीन विहित की गई दरों पर उपविधि में विहित रीति अनुसार केता से किया जाएगा। संविदा खेती के लिये निष्पादित करार के अनुसार यथास्थिति केता द्वारा उत्पादक से अधिसूचित कृषि उपज के प्राप्ति के 14 दिवस की कालावधि में अथवा अधिसूचित कृषि उपज के मण्डी क्षेत्र से निर्गमन/विक्रय/प्रसंस्करण के पूर्व नियमानुसार देय मण्डी फीस का भुगतान मण्डी समिति को किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा केता से धारा 19(4) के प्रावधानों के अधीन दाण्डिक मण्डी फीस की वसूली की जावेगी।

(ग) संविदा खेती के अधीन केता द्वारा उत्पादक से क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज का मण्डी/मण्डी क्षेत्र से निर्गमन करने के पूर्व केता को धारा 19 (6) के अधीन मण्डी समिति से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करेना अनिवार्य होगा। संविदा खेती के लिये निष्पादित करार के अधीन उत्पादक को अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय से संबंधित देय राशि के बकाया रहने अथवा धारा 37–क(3) एवं (4)के अधीन विवाद जारी रहने पर अथवा धारा 19 के उपबंधो के अधीन देय मण्डी फीस/निराश्रित शुल्क के बकाया रहने की स्थिति में मण्डी समिति द्वारा केता को ऐसी प्रश्नगत अधिसूचित कृषि उपज या उससे प्राप्त प्रसंस्कृत उत्पाद के निर्गमन /विक्रय के लिये धारा 19 (6) के अधीन अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया जावेगा,और ऐसी प्रश्नगत अधिसूचित कृषि उपज या उससे प्राप्त उत्पादन को धारा 23 की उपधारा(1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अभिगृहित किया जा सकेगा।

(डी0पी0 तिवारी)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क./बी–6/1–1/टी/48/1106–1110 भोपाल, दिनांक :–07.08.2004

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, मा0 कृषि मंत्री जी, म0प्र0 शासन, भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव,म.प्र.शासन, कृषि विभाग,मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक(नियमन शाखा) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4. उप संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय(समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं समस्त मंडियों से उपविधि के उपरोक्त संशोधन का कियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

5. समस्त अध्यक्ष/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति म0प्र0(समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित। संविदा खेती के इस संशोधन का प्रचार प्रसार कर मण्डी क्षेत्र के समस्त उत्पादकों को अवगत करावें।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

प्ररूप– 19
संविदा कृषि के लिये आदर्श अनुबन्ध

(अनुबन्ध के सभी खण्ड "आदर्श संविदा कृषि अनुबन्ध की विषयवस्तु" के अधीन दी गई सम्बन्धित व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अध्यधीन है)

यह अनुबन्ध ———————— में ———————— (माह) ———— के ———————— दिन ———— (वर्ष) में ———————— (नाम/पद) आयु ————, निवासी ————————, जिसे/जिन्हें इसके बाद प्रथम भाग का पक्षकार कहा गया है (जिसकी अभिव्यक्ति, जब तक कि सन्दर्भ और उसके अर्थ से असंगत न हो, उसका अभिप्राय वही होगा एवं उसमें उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती सम्मिलित होंगें) एक पक्ष और मे/ ———————— एक निजी/सार्वजनिक मर्यादित कम्पनी जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन निगमित है, और जिसका पंजीकृत कार्यालय ———————— में हैं, जिसे इसके बाद द्वितीय भाग का पक्षकार कहा गया है (जिसकी अभिव्यक्ति, जब तक कि सन्दर्भ एवं उसके अर्थ से असंगत न हो उसका अभिप्राय वही होगा और उसमें उसके उत्तराधिकारी और समुनेदेशिती सम्मिलित होंगे) दूसरा भाग होगा, के बीच सम्पन्न किया गया है और प्रवेश किया गया है।

जबकि प्रथम भाग का पक्षकार, निम्नांकित नम्बरों वाली कृषि भूमि का स्वामी/कृषक है :

ग्राम	मानांक	हेक्टर में क्षेत्रफल	तहसील एवं जिला	राज्य

और जबकि द्वितीय भाग का पक्षकार कृषि उपज में व्यापार कर रहा है और भूमि की तैयारी, रोपणी, उर्वरण, नाशी कीट प्रबन्धन, सिंचाई, फसल कटाई और ऐसी ही समान मुद्दों पर तकनीकी समझ भी दे रहा है।

और जबकि द्वितीय भाग के पक्षकार की रूचि, कृषि उपज की वस्तुओं में, विशेषकर जो इसके साथ अनुलग्न अनुसूची–एक में उल्लेखित है तथा द्वितीय भाग के पक्षकार के अनुरोध पर, प्रथम भाग का पक्षकार खेती करने और इसके साथ अनुलग्न अनुसूची–एक में उल्लेखित कृषि उपज की वस्तुएं पैदा करने के लिये सहमत हो गया है।

और जबकि इससे सम्बद्ध पक्षकारगण एतद् पश्चात प्रगट होने वाले तरीके से निबन्धनों एवं शर्तों को लेखबद्ध करने के लिए सहमत हो गये हैं।

अब ये साक्ष्य हो तथा एतद् द्वारा और पक्षकारों के बीच यह इस प्रकार निम्नानुसार सहमति हुई है :

खण्ड–1

प्रथम भाग के पक्षकार, द्वितीय भाग के पक्षकार के लिये खेती करने और उपज प्रदाय करने के लिए सहमत है तथा द्वितीय भाग के पक्षकार, प्रथम भाग के पक्षकार से कृषि उपज की वस्तुएं, जिनकी विशिष्टियां, गुणवत्ता, मात्रा और वस्तुओं का मूल्य, विशेषकर एतद् अनुलग्न अनुसूची–एक में उल्लेखित है, क्रय करने के लिए सहमत है।

वह कृषि उपज जिसकी विशिष्टियां एतद् अनुलग्न अनुसूची–एक में उल्लेखित है इसके बाद की तारीख से —— माह/वर्षो को अवधि के अन्दर प्रथम भाग के पक्षकार द्वारा द्वितीय भाग के पक्षकार को प्रदाय की जायेगी।

या

एतद् पक्षकारों के बीच यह स्पष्ट रूप से सहमति हुई है कि यह अनुबन्ध उस कृषि उपज के लिए है जिसकी विशिष्टियां एतद् अनुलग्न अनुसूची–एक में वर्णित है तथा —————— माह/वर्षो की अवधि के लिए है तथा कथित अवधि के अवसान हो जाने के बाद, यह अनुबन्ध स्वतः समाप्त हो जायगा।

खण्ड–3

प्रथम भाग का पक्षकार, द्वितीय भाग के पक्षकार को एतद् अनुलग्न अनुसूची–एक में उल्लेखित खेती करने, उपजाने और मात्रा, प्रदाय करने के लिए सहमत है।

खण्ड–4

प्रथम भाग का पक्षकार,अनुबद्ध अनुसूची–एक में गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों के अनुसार संविदा की गई मात्रा प्रदाय करने के लिए सहमत है। यदि सहमत गुणवत्ता मानक के अनुसार कृषि उपज नहीं है, तो द्वितीय भाग का पक्षकार इसी कारण पर कृषि उपज का परिदान लेने से मना करने का हकदार होगा, तब–

(क) प्रथम भाग का पक्षकार, द्वितीय भाग के पक्षकार को आपस में किये गए सौदागत मूल्य पर उपज बेचने के लिए स्वतन्त्र होगा।

या

(ख) खुली मण्डी में (थोक केता अर्थात निर्यातक/प्रसंस्करणकर्ता/निर्माता आदि को) और यदि वह संविदा की गई उपज से कम मूल्य पाता है, तो वह द्वितीय भाग के पक्षकारको उसके निवेश के लिये यथा– अनुपात कम का भुगतान करेगा।

या

(ग) मण्डी प्रांगण में और यदि उसके द्वारा प्राप्त मूल्य संविदा किए गए मूल्य से कम है, तब द्वितीय निवेश के पक्षकार के लिए यथा अनुपात कम लौटायेगा।

द्वितीय भाग का पक्षकार अपने स्वयं के कारणों से संविदा की गई उपज का परिदान लेने से मना करता है/में असफल रहता है, जब प्रथम भाग का पक्षकार उपज खुली मण्डी में बेचने के लिए स्वतन्त्र होगा और यदि प्राप्त किया गया मूल्य संविदा मूल्य से नीचे है, तो अन्तर द्वितीय भाग के पक्षकार के खाते पर होगा, द्वितीय भाग का पक्षकार, प्रथम भाग के पक्षकार को कथित अन्तर विनिश्चित करने से ——— दिवस की अवधि के अन्दर अन्तर का भुगतान करेगा।

खण्ड–5

द्वितीय भाग के पक्षकार द्वारा समय–समय पर सुझाये अनुसार प्रथम भाग का पक्षकार भूमि की तैयारी, रोपणी, उर्वरण, नाशी कीट प्रबन्धन, सिंचाई, फसल कटाई और

किन्ही अन्य निर्देशो/प्रणालियों को अपनाने और एतद् अनुलग्न अनुसूची–एक में उल्लेखित विनिर्दिष्टियों के अनुसार खेती करने और वस्तुएं उत्पादित करने के सहमत है।

खण्ड–6

पक्षकारों द्वारा और उनके बीच यह स्पष्ट रूप से सहमति है कि खरीदी निम्नलिखित निबन्धनों के अनुसार होगी और क्रय के तुरन्त बाद खरीद पर्चियां जारी की जावेगी।

दिनांक	परिदान बिन्दु	परिदान का मूल्य

यह और सहमति है कि सहमत परिदान बिन्दु पर परिदान अर्पित करने के बाद द्वितीय भाग के पक्षकार का संविदागत उपज का आधिपत्य लेने का उत्तरदायित्व होगा तथा यदि ——— अवधि के अन्दर वह परिदान लेने में असफल होता है तब प्रथम भाग का पक्षकार संविदागत कृषि उपज को निम्नानुसार बेचने के लिए स्वतन्त्र होगा :

(क) खुली मण्डी में (थोक केता, अर्थात निर्यातक/प्रसंस्करणकर्ता/निर्माता आदि को), और यदि वह संविदागत मूल्य से कम पाता है, तो वह द्वितीय भाग के पक्षकार को उसके निवेश के लिये यथा अनुपात कम भुगतान करेगा।

(ख) मण्डी प्रांगण में, और यदि प्राप्त मूल्य से संविदागत मूल्य से कम है, तब वह द्वितीय भाग के पक्षकार को उसके विनियोग के लिये यथा अनुपात कम लौटायेगा।

यह और सहमति है कि मार्ग में गुणवत्ता रख–रखाव, द्वितीय भाग के पक्षकार का उत्तरदायित्व होगा और प्रथम भाग का पक्षकार उसके लिये उत्तरदायी या दायी नहीं होगा।

खण्ड–7

जब फसल काट ली जाय और द्वितीय भाग के पक्षकार को परिदान कर दी जाय, प्रथम भाग के पक्षकार को द्वितीय भाग के पक्षकार द्वारा दिये गये अबशेष अग्रिमों को घटाकर, द्वितीय भाग का पक्षकार अनुसूची एक में उल्लेखित मूल्य/भाव, प्रथम भाग के पक्षकार को भुगतान करेगा। भुगतान के लिये निम्नांकित अनुसूची अपनाई जावेगी :–

दिनांक	भुगतान की रीति	भुगतान का स्थल

खण्ड–8

एतद् अनुसूची–एक में उल्लेखित संविदा की गई उपज का एतद् पक्षकारगण ——— अवधि के लिये विनिर्दिष्ट सम्पदा के ईश्वरीय कृत्य से विनाश, ऋण व्यतिकम और उत्पादन तथा आय हानि और पक्षकारगण के नियन्त्रण के बाहर के अन्य समस्त कृत्य या घटनाएं जैसे कि बीमारी के गम्भीर प्रादुर्भाव, महामारी या असामान्य मौसम की स्थिति, बाढ़, सूखे, ओले, चकवात, भूकम्प, आग या अन्य विपत्तियों, युद्ध द्वारा कारित बहुत कम उत्पादन, शासन के कृत्य विद्यमान या इस अनुबन्ध के प्रभावी होने की तारीख के बाद जो पूर्णतया या आंशिक रूप से कृषक की बाध्यता पूर्ति रोकते है, के विरूद्ध बीमा करायेंगें। अनुरोध करने पर, प्रथम भाग का पक्षकार ऐसी कृतियों को अवलम्ब लेकर अन्य

(दूसरे) पक्ष को विद्यमान तथ्यों का आंशिक पुष्टि प्रदान करेगा। ऐसा प्रमाण उपयुक्त शासकीय विभाग के प्रमाण पत्र के विवरण के रूप में होगा। यदि ऐसे प्रमाण पत्र का विवरण युक्तियुक्त रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ऐसे कृत्य के बदले में दावा करने वाला प्रथम भाग का पक्षकार, दावाकृत तथ्यों को विस्तार में वर्णन करते हुए और कारणों का कि ऐसे तथ्यों की विद्यमानता की अभिपुष्टि का प्रमाण–पत्र या विवरण का एक लेख्य–विवरण देगा। विकल्प के रूप में, दोनों पक्षकारों के बीच आपसी अनुबन्ध के अध्यधीन, प्रथम भाग का पक्षकार अपने उत्पादन का कोटा अन्य स्त्रोतों के माध्यम से पूरा कर सकता है और उससे उसके द्वारा भुगती गई मूल्य अन्तर की हानि बीमा कम्पनी से वूसल की गई राशि विचार में लेने के बाद पक्षकारों के बीच समान रूप से बांटी जायगी। बीमा की प्रब्याजि (प्रीमियम) दोनों पक्षकारों द्वारा समान रूप से साझा की (बांटी) जायगी।

खण्ड–9

द्वितीय भाग का पक्षकार एतद् द्वारा, प्रथम भाग के पक्षकार को खेती और फसल कटाई बाद के प्रबन्धन की अवधि में निम्नांकित सेवाएं प्रदाय करने के लिये सहमत है, जिन सेवाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

1.
2.
3.
4.
5.

खण्ड–10

द्वितीय भाग का पक्षकार या उसके प्रतिनिधि प्रथम भाग के पक्षकार द्वारा स्थापित/नामित कृषकों के मंच के साथ संविदा अवधि में नियमित पारस्परिक आदान–प्रदान करते रहने के लिये सहमत है।

खण्ड–11

द्वितीय भाग का पक्षकार या उसके प्रतिनिधि अपने स्वयं के व्यय पर समय–समय पर अपनाई गई कृषि प्रणालियों और उपज की गुणवत्ता का अनुश्रवण करने हेतु प्रथम भाग के पक्षकार की परिसर/प्रक्षेत्रों में प्रवेश करने के हकदार होंगें।

खण्ड–12

द्वितीय भाग का पक्षकार यह अभिपुष्ट करता है कि उसने अपने आप को पंजीयन प्राधिकारी ———— के पास ———— को पंजीकृत करा लिया है और वह इस संबंध में प्रचलित कानून के अनुसार उस पंजीयन प्राधिकारी को शुल्क का भुगतान कर देगा, जिसे वर्णित भूमि ———— पर की गई कृषि की कृषि उपज के विपणन का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

या

द्वितीय भाग के पक्षकार ने राज्य द्वारा इस सम्बन्ध में विहित पंजीकरण प्राधिकारी के पास अपने आपको एकास्थानीय पंजीकरण प्राधिकारी के पास पंजीकृत कर लिया है। सम्बन्धित पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा उद्गृहित शुल्क द्वितीय भाग के पक्षकार द्वारा ही अनन्य रूप से वहन किया जायेगा और जिसमें कुछ भी, किसी रीति में प्रथम भाग के पक्षकार को भुगतान की गई राशि से नहीं काटा जायेगा।

Shiv S

खण्ड–13

द्वितीय भाग के पक्षकार को, प्रथम भाग के पक्षकार की भूमि/सम्पत्ति के स्वत्व, स्वामित्व, आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा और न तो वह प्रथम भाग के पक्षकार को, खासकर भूमि सम्पत्ति से, किसी प्रकार से अन्य संकामित (पर हस्तान्तरित) करेगा, न ही प्रथम पक्षकार की भूमि सम्पत्ति को, इस अनुबन्ध के प्रवर्तन पर्यन्त किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को बन्धक, पटटे, उप पटटे पर देगा या अन्तरण करेगा।

खण्ड–14

द्वितीय भाग का पक्षकार, दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित इस अनुबन्ध की सत्य प्रति, उसके निष्पादन के 15 दिवस के भीतर, जैसा कि कृषि उपज विपणन विनियम अधिनियम (कृषि उपज मण्डी अधिनियम) में अपेक्षित है, मण्डी समिति/पंजीकरण प्राधिकारी ...../ इस उददेश्य के लिये विहित किसी अन्य पंजीकरण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

खण्ड–15

संविदा का विच्छेद, अवसान/निरस्तीकरण दोनों पक्षकारों की सहमति से होगा। ऐसा विच्छेद या अवसान /निरस्तीकरण विलेख, ऐसे विच्छेद, अवसान/निरस्तीकरण के 15 दिवसों के भीतर पंजीकरण प्राधिकारी को संसूचित किया जायेगा।

खण्ड–16

इस अनुबन्ध के अधीन, एतदद्वारा सम्बद्ध दोनों पक्षकारों के बीच हक और दायित्वों के सम्बन्ध में या एक पक्षकार का दूसरे के विरूद्ध आर्थिक अथवा अन्यथा दावे के सम्बन्ध में या इस अनुबन्ध के किसी निबन्धनों के प्रभाव और शर्तो के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई विवाद उद्भूत होने की स्थिति में, ऐसा विवाद या मतभेद, इस उददेश्य से गठित माध्यमस्थम प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा।

खण्ड–17

किसी पक्षकार के पते में परिवर्तन होने की स्थिति में, यह दूसरे पक्षकार को तथा पंजीकरण प्राधिकारी को भी संसूचित किया जाना चाहिये।

खण्ड–18

इस अनुबन्ध के अधीन, एतद् सम्बद्ध प्रत्येक पक्षकार दूसरे के साथ अपने दायित्वों का पालन करने में तत्परता और ईमानदारी से स्वस्थ विश्वास में कार्य करेगा और दूसरे के हितों को संकट में डालने का कोई कार्य नहीं किया जायेगा।

इसकी साक्ष्य में पक्षकारों ने यह अनुबन्ध पहले ऊपर उल्लेखित . . . . . माह के . . . . . दिन और . . . . . वर्ष पर हस्ताक्षरित किया है।

नाम के अधीन "प्रथम भाग के पक्षकार"
द्वारा इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षरित,
मुद्रांकित और प्रदत्त किया गया –

1. . . . . .
2. . . . . .

नाम के अधीन "द्वितीय भाग के पक्षकार"
द्वारा इनकी उपस्थित में हस्ताक्षरित,
मुद्रांकित और प्रदत्त किया गया –

1. . . . . .
2. . . . . .

अनुसूची – एक

श्रेणी, निर्दिष्टि, मात्रा और मूल्य सारिणी

श्रेणी	निर्दिष्टि	मात्रा	मूल्य/भाव
श्रेणी – प्रथम या 'क'	आकार,रंग,सुरभि (सुगंध) आदि		
श्रेणी – द्वितीय या 'ख'			

घोषणा

मैं/हम आवेदक एतद्द्वारा शपथपूर्वक घोषित करता/करती/करते हूँ/ हैं कि संविदा कृषि के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र में प्रस्तुत उपयुक्त सूचनाऐं मेरे/हमारे ज्ञान एवं विश्वास में सत्य हैं तथा सही अभिलेखित की गई है और सूचना में कोई बात छिपाई नहीं गई है

2 आवेदक ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, नियम उपविधि, कार्यालय मैनुअल एवं अधिनियम में विहित संविदा कृषि के समस्त प्रावधानों एवं संविदा कृषि के अनुबंध की शर्तो का भलीभॉति अध्ययन कर लिया है और उनमें दी गई व्यवस्थाओं का पालन करते हुये कार्य किया जायेगा।

3. अधिनियम, नियम, उपविधि, कार्यालय मैनुअल एवं संविदा कृषि के अनुबंध की शर्तो एवं प्रावधानों में दी गई व्यवस्थाओं को भंग करने पर संविदा कृषि हेतु धारा 37–क (1) के अधीन पंजीकरण, मण्डी समिति द्वारा निलम्बित अथवा रदद कर दिये जाने के दायित्वाधीन होगा।

4. आवेदक यह विश्वास दिलाता/दिलाते है/ हैं कि मण्डी समिति से समय–समय पर जारी किये गये आदेशों/निर्देशों का भी आवेदक द्वारा पालन किया जावेगा और ऐंसा कोई भी कार्य या प्रकिया नहीं की जाएगी जो उत्पादक कृषक के हितों के प्रतिकूल हो। कृषक उत्पादक के हितों का हर संभव संरक्षण किया जावेगा।

5. आवेदक संविदा कृषि के पंजीकरण के लिये आवश्यक अभिलेख एवं निर्धारित पंजीकरण फीस का बैंक ड्राफट संलग्न कर रहा है।

(हस्ताक्षर आवेदक संविदा खेती केता)

कार्यालय के उपयोग हेतु

1. कुल रूपये . . . . . पैसे . . . . . (शब्दों में) . . . . . .

रसीद कमांक . . . . . दिनांक . . . . . द्वारा प्राप्त कर संविदा कृषि पंजीकरण पंजी में अनुकमांक . . . . . पर पृविष्ट किया गया।

लेखापाल

लिपिक

2. पंजीकरण स्वीकृत या अस्वीकृत किये जाने के संबंध में मण्डी समिति के ठहराव कमांक . . . . . दिनांक . . . . . के अनुसरण में आदेश जारी किया गया।

स्वीकृति की स्थिति में पंजीकरण कमांक . . . . . .

सचिव

प्ररूप–20

संविदा खेती के लिखित करार के रजिष्ट्रीकरण हेतु आवेदन पत्र.
(देखिये धारा 37–क(1) एवं उपविधि की कंडिका कमांक–.....)

प्रति,

अध्यक्ष/भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति.....जिला.....

(1) आवेदक/केता फर्म (द्वितिय पक्ष) का नाम .....
आवेदक की ओर से आवेदनकर्ता का नाम .....
पिता का नाम .....
आवेदनकर्ता की पदीय स्थिति .....
कार्यालय का पता .....
पता (निवास) .....
दूरभाष कमांक– कार्यालय–..... निवास–.....

(2) क्या आवेदक/फर्म/हिन्दु संयुक्त परिवार/ .....
व्यक्तिगत/कंपनी/सरकारी संस्था है ?
(हैसियत अंकित की जाय)

(3) आवेदक फर्म/हिन्दु संयुक्त परिवार/कंपनी/ .....

सहकारी संस्था/व्यक्तिगत है तो संबधित/समस्त .....
भागीदार .....
कर्ता/संचालक के नाम एवं पूर्ण पता .....

नाम	आयु	पता	टेलिफोन नम्बर	आरक्षित केन्द्र का नाम
.....	.....	.....	.....	.....

(4) आवेदक फर्म/कंपनी/सहकारी संस्था है तो .....
पंजीयन कं0 एव दिनांक .....
(पंजीयन की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

(5) आवेदक का वाणिज्यिक कर पंजीयन कं0 एवं .....
केन्द्रीय कर पंजीयन कमांक– .....

(6) आवेदक का आयकर स्थाई खाता कं0– .....

(7) आवेदक/फर्म के जिन बैकों में खाते हैं उनके नाम एवं खाता कं. तथा खाते में जमा राशि

बैंक का नाम	खाता कं0	आवेदन दिनांक को जमा राशि
.....	.....	.....

(8) <u>आवेदक के कारोबार के मुख्य स्थान एवं शाखाओं के पते :–</u>

मुख्यालय का पता एवं दूरभाष कमांक	शाखाओं के नाम पता एवं दूरभाष कमांक	शाखा प्रबंधक का नाम	मुख्यालय प्रबंधक का नाम
.....	.....	.....	.....

.....
.....

(10) संविदा कृषि हेतु आवेदक द्वारा चयन की गई अधिसूचित कृषि का नाम,किस्म, अनुमानित उपज मात्रा .....
.....

(11) संविदा कृषि हेतु चयन की गई उत्पादक की भूमि का विवरण :—

ग्राम	मानांक	भूमि का क्षेत्रफल(हेक्टे.)	तहसील/जिला
.....	.....	.....	.....

(12) क्या आवेदक मण्डी समिति का पूर्व अनुज्ञप्ति (पंजीयन) धारक है ? यदि हो, तो गत वर्ष का पंजीयन कमांक नवीन अनुज्ञप्ति (पंजीयन) ग्रहिता है तो व्यवसाय/व्यापार प्रारम्भ करने का दिनांक .....
.....
.....
.....
.....

(13) यदि (इस आवेदन के पूर्व) आवेदनकर्ता द्वारा अन्य उत्पादको से संविदा कृषि हेतु करार किया गया है तो उनका नाम, पता, स्थान अधिसूचित कृषि उपज का नाम, किस्म, मात्रा एवं मूल्य आदि विवरण संलग्न करें। .....
.....
.....
.....

(14) क्या संविदा खेती से संबंधित प्रदेश के किसी मण्डी क्षेत्र में कोई विवाद उद्‌भूत हुआ है या चल रहा है? यदि हॉ, तो करार सहित विस्तृत विवरण संलग्न करें। .....
.....
.....
.....

(15) आवेदक केता एवं उत्पादक के मध्य सम्पादित लिखित करार की छायाप्रति संलग्न करें। .....
.....

मैं/हम, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती/करते हूँ/हैं कि मैंने/हमने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 तदाधीन बनाये गये नियम एवं उपविधियॉ भली भांति पढ़ी एवं समझी हैं। मैं/हम उनका यथाविधि पालन करूंगा/करूंगी/करेगें/तथा वे मुझे/हमें मान्य होंगे।

निवेदन है कि संविदा कृषि हेतु संलग्न करार के अनुसार मण्डी समिति,..... में पंजीकरण करने का कष्ट करें। पंजीकरण हेतु निर्धारित शुल्क, राशि रूपये..... का बैंक ड्राफ्ट कमांक.....दिनांक.....जो कि.....बैंक.....का है, संलग्न है।

स्थान .....
दिनांक .....

आवेदक के हस्ताक्षर.....
नाम.....
पद.....
मुद्रा.....

प्ररूप –21

कार्यालय
कृषि उपज मण्डी समिति ————
जिला ———— (म0प्र0)

(अधिनियम की धारा 37–क (2) के अधीन निष्पादित करार का रजिस्ट्रीकरण)

पंजीकरण क0 ———— पंजीकरण दिनांक / /

1. म0प्र0 कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क0 24 सन्–1973) की धारा 37–क की उपधारा(1) के अधीन संविदा खेती के लिए ।

केता श्री ———— निवासी ————
एवं उत्पादक श्री ————
निवासी ————
के बीच दिनांक ———— को निष्पादित करार (संलग्न) का धारा 37–क (2) के अधीन मण्डी समिति द्वारा रजिस्ट्रीकरण(पंजीकरण) किया जाता है। मण्डी समिति द्वारा मुद्रांकित पंजीकृत लिखित करार की एक–एक प्रति केता एवं उत्पादक को प्रदाय की जाती है।

2. संविदा के विच्छेद/अवसान/निरस्तीकरण के दिनांक से यह पंजीकरण स्वमेव रद्द/निष्प्रभावी हो जावेगा।

हस्ताक्षर

अध्यक्ष/सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति ————
जिला————(म0प्र0)

Shiv 5